कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

//कार्यालय आदेश//

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षक अनुदेशक हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शिक्षक ग्रेड ।।। /सी. भ./एन.जे./2013–16/ दिनांक 02.02.2018 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानेदय (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने के पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए.II/ 95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नही होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10रू के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधित जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थीयों द्वारा राज्य के बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थीयों से 10रू के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य के बाहर से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नही पायी गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण मूल दस्तावेजों से कराने से पूर्व संस्थाप्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेंगे।

5. जो अभ्यर्थी बीपीई (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है उनकी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नही होने के कारण नियुक्ति के पात्र नही माने जायेंगे। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हे तो उन्हें कार्यग्रहण नही करवाया जावे तथा उसके संबंध पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।

6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नही है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाप्रधान हस्ताक्षरित/प्रमाणिकरण की पुष्टि करने एवं सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे।

7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी का नवनीतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात बना हुआ हो तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करवाया जावे।यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजावे।

8. धोलपुर/भरतपुर जिले का जाट जात वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्रांक प.17(9) कार्मिक /क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसी डब्ल्यू एल 6046/99/रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नही होने संबंधित दिशा निर्देश के क्रम में यदि धोलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित है एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही करवाया जावे। तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।

9. चयन अभ्यर्थीयों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षीत वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 में प्रोबेशन ट्रेनी (परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रू.23700/– रूपये प्रतिमाह/विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छात्राचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाप्रति (फोटो) चस्पा है।

11. चयनित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन रहते हुए की गई है।

क्रमशः....2

12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

14 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधीसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

-- TSP --

क.स.	नाम अभ्यर्थी/पिता मय पता	मेरिट नं.	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन	पदस्थापन स्थान
1	मेहुल कुमार पण्ड्या/रतनलाल, नि. मु.पो. टामटिया, तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर	R-1143	GE	26-04-1987	TGEM	राउमावि केवाडाखुर्द, सराडा, उदयपुर
2	दशरथ रावल/गोरखनाथ, मु.पो. गामडी देवल, वाया पाल देवल डूगरपुर	R-1288	TSP-SC	11-07-1974	TSCM	राउमावि जवास, खैरवाडा, उदयपुर

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण करन अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।

(नरेश चन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

कमांकः जिशिअ/उदय/माप्र/संस्था–1/फा–07/2018/1363 **दिनांक :12.02.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर , 6. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा ———————————
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक ———————————,
8. संबंधित संस्थाप्रधान ——————————————————
9 संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा), 10. रक्षित पत्रावली, 11 नोटिस बोर्ड

(नरेश चन्द्र डांगी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर